संख्या- 07/866/बयालिस-2018-104(विविध)/2014

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2018**

विषय- **चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-03/नि0 चौक बाक्सिंग हाल पत्रा0/2016-17, दिनांक 09.4.2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2256/बयालिस-2016-104(विविध)/2014, दिनांक 21.12.2016 द्वारा निर्गत रू0 1194.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त शासनादेश संख्या-446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 398.31 लाख निर्गत करने के उपरान्त निर्गत धनराशि रू0 398.31 लाख का कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र के अनुसार 06 प्रतिशत की धनराशि आयकर एवं सर्विस टैक्स के रूप में कटौती के उपरान्त 0 3,74,41,140.00 की शुद्व धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को नही हो सकने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-1929/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 04.10.2017 द्वारा धनराशि रू0 3,74,41,140.00 निर्गत करने के उपरान्त अनुमोदित लागत के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 696.91 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में मद संख्या- 84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपया चार करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपया चार करोड मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- लेबर सेस/जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्यसरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है ।

(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर/रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9)- शासनादेश संख्या-2256/बयालिस-2016-104(विविध)/2014, दिनांक 21.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017 एवं शासनादेश संख्या-1929/ बयालिस- 2017-104(विविध)/2014, दिनांक 04.10.2017 में उल्लिखित अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 866(1)/बयालिस-2018-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in